न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 70/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/119

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
17.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएें उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. सम्पूर्ण सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर ऐसे कितने उचित मूल्य दुकानदार है जिनकी पीओएस मशीन मे आवंटन से अधिक सरकारी गेंहूॅ का स्टॉक चढा हुआ है। उनके नाम एवं पीओएस मशीन नम्बर सहित गेंहूॅ के स्टॉक की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को सम्पूर्ण दस्तावेजो की प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे। नकल मे यह बिन्दु भी अंकित होना चाहिए कि किस उचित मूल्य दुकानदार के स्वंय की पीओएस मशीन मे आवंटन से अधिक कितना–कितना गेंहूॅ चढा हुआ है समस्त राशन डीलर्स की अलग–अलग नकल उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/763 दिनांक 1.8.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक 763 दिनांक 6.7.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु न्यायहित मे उक्त चाही गयी सूचना मे से (यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार की पीओएस मशीन मे आवंटन से अधिक गेंहूॅ का स्टॉक चढा हुआ हो तो उसकी सूचना) अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्दे[illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनव[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर